

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)
क्रमांक- प्रार्थना पत्र /2024/5

दायर दिनांक 05/01/24

धारा 136 एल.आर.एक्ट

उनवान- हीरालाल पिता कवरलाल धाकड़ नि० लालगँव तहसील सुनेल
बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड़ राज०

-: आदेश :- दिनांक 5/1/2024

प्रार्थी हीरालाल पिता कवरलाल धाकड़ नि० लालगँव तहसील सुनेल के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुनेल की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कलोतिया पटवार मण्डल सलोतिया तहसील सुनेल की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 मे खाता संख्या 13 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी के पिता का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम कलोतिया पटवार मण्डल सलोतिया तहसील सुनेल	13	हीरालाल पुत्र भवानीलाल	हीरालाल पुत्र कवरलाल

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज०)
दिनांक 05/01/24

क्रमांक:- राजस्व/2024/5
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज०)
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



[Signature]